रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 927] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2008/आषाढ़ 12, 1930
No. 927] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2008/ASADHA 12, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(प्रधान आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2008

विषय : दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959, के नियम-9, अध्याय-III, के अन्तर्गत 'जांच और सुनवाई बोर्ड' का गठन ।

का.आ. 1616(अ).—दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के संबंध में दिनांक 30-4-2008, 16-5-2008, 18-5-2008, 8-6-2008 और 9-6-2008 को समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की गई थीं, जिनके द्वारा जनता से 30 दिनों के अन्दर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा, निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित 'जांच एवं सुनवाई बोर्ड' की नियुक्ति करता है :—

(i)	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	—अध्यक्ष
(ii)	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
(iii)	आयुक्त, दि.न.नि.	—सदस्य
(iv)	मुख्य नियोजक, ग्राम एवं नगर योजना संगठन	—सदस्य
(v)	श्री सुदेश भसीन, पार्षद, दि.न.नि.	—सदस्य
(vi)	अपर आयुक्त (योजना)-I, दि.वि.प्रा.	—संयोजक एवं सचिव

उपर्युक्त बोर्ड, दि. मु. यो.—2021 में संशोधन हेतु जारी की जाने वाली परवर्ती सार्वजनिक सूचनाओं, यदि कोई हो, के प्रत्युत्तर में भविष्य में प्राप्त होने वाली आपत्तियों/सुझावों की भी सुनवाई करेगा ।

[सं. एम.पी.पी.आर./डी.डी.ए./2008/एफ-1140]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Office of the Principal Commissioner-cum-Secretary)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2008

Sub. : Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 1616(E).—Public Notices in respect of amendments to the Master Plan for Delhi-2021 were published in the newspapers on 30-4-2008, 16-5-2008, 18-5-2008, 8-6-2008 and 9-6-2008 *vide* which objections/suggestions have been invited within 30 days from the public.

The Delhi Development Authority under the provisions of Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959 hereby appoint the following Board for Enquiry and Hearing to consider the objections/suggestions received within the stipulated period :—

(i)	Finance Member, DDA	—Chairman
(ii)	Engineer Member, DDA	—Member
(iii)	Commissioner, MCD	—Member
(iv)	Chief Planner, TCPO	—Member
(v)	Shri Sudesh Bhasin, Councillor, MCD	—Member
(vi)	Additional Commissioner (Planning)-I, DDA	—Convener and Secretary

The above Board shall also hear the objections/suggestions to be received in future in response to the subsequent Public Notices, if any, issued for amendment to the MPD-2021.

[No. M.P.P.R./D.D.A./2008/F-1140]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

2521 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.